न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 169/2024 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/573**
दायर दिनांक :– 08.08.2024 **निर्णय दिनांक :– 26.08.2025**

1. अर्जुनराम पुत्र सिमरथाराम जाति माली निवासी नोख तहसील बाप जिला फलोदी
2. सुरजाराम पुत्र सिमरथाराम जाति माली निवासी नोख तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थीगण

बनाम

1. भगवानाराम पुत्र सिमरथाराम जाति माली निवासी नोख तहसील बाप जिला फलोदी
2. मदनराम पुत्र सिमरथाराम जाति माली निवासी नोख तहसील बाप जिला फलोदी
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी
4. भारतीय स्टेट बैंक शाखा नोख तहसील बाप जिला फलोदी
5. उप पंजीयक नोख़ तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री पप्पूराम मेगवाल अधिवक्ता अ.संख्या 2

–:: निर्णय ::–

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय से पेश किया है प्रार्थीगण के पिता सिमरथाराम के नाम की ग्राम नोख के खसरा नम्बर 160 रकबा 162–10 बीघा, खसरा नम्बर 161 रकबा 40–05 बीघा, खसरा नम्बर 162 रकबा 575–00 बीघा तथा खसरा नम्बर 163 रकबा 115–00 बीघा कुल रकबा 903–15 बीघा समरी की गैर खातेदारी की भूमि आई हुई थी जिस पर सिमरथाराम का व उनकी मृत्यु के पश्चात उनके वारिसान चारों पुत्रों प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा था। सेटलमेंट के समय प्रार्थीगण केपिता की उपरोक्त खसराा की भूमि के नये खसरा नम्बर पडे तथा उक्त नये खसरा नम्बर 2632 रकबा 01–10 बीघा, खसरा नम्बर 2638 रकबा 45–13 बीघा, खसरा नम्बर 2639 रकबा 40–05 बीघा, खसरा नम्बर 2640 रकबा 35–13 बीघा कुल रकबा 121–07 बीघा भूमि सिमरथाराम के नाम दर्ज हुई। सिमरथाराम के नाम की उपरोक्त समरी खातेदारी की शेष भूमि में से नये खसरा नम्बर 2633/3059 रकबा 69–00 बीघा व खसरा नम्बर 2633/3060 रकबा 169–00 बीघा भूमि नामान्तरकरण संख्या 260 के जरिये उक्त भूमि सिमरथाराम के पुत्रों अप्रार्थीगण भगवानाराम व मदनराम के नाम दर्ज हुई उक्त भूमि सिमरथाराम की समरी की ही भूमि होने का अकंन सहाकय

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

भू–प्रबन्धक एवं सहायक भू–अभिलेख अधिकारी जोधपुर के द्वारा पत्रावली संख्या 1006/1975 व पत्रावली संख्या 1004/75 में पारित आदेश दिनांक 24.06.1976 में भी किया है सहायक भू–प्रबन्धक एवं सहायक भू–अभिलेख अधिकारी जोधपुर के द्वारा दिनांक 26.06.1976 के द्वारा पत्रावली संख्या 1006/75 में स्पष्ट रूप से वर्णित किया है कि तहसील पटवारी का रिकार्ड व समरी मिलान रजिस्टर देखा गया जिसमें स्पष्ट है कि सिमरथाराम पुत्र हनुता के नाम समरी मिलान रजिसटर के कृषक नम्बर 111 पर 902–15 बीघा दर्ज है। वक्त सर्वे सिमरथाराम के नाम 122–17 व जमनाराम के नाम 32–08 बीघा कुल 155–05 बीघा दर्ज हो चुका मजीद तस्दीक में उक्त समरी भगवानाराम व मदनराम पिसरान सिमरथाराम जरिये फाईल संख्या 260 के द्वारा दर्ज हुई का सहायक भू–प्रबन्धका अधिकारी जोधपुर के द्वारा उक्त निर्धारण से भी स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण के नाम उक्त खसरा नम्बर 2633/3059 व 2633/3060 के रकबा की उक्त भूमि भगवानाराम व मदनराम के नाम दर्ज हुई वह भूमि सिमरथाराम की भी थी व उक्त भूमि सिमरथाराम के दो पुत्रों भगवानाराम व मदनराम के नाम गलत दर्ज हुई क्योकि सिमरथाराम के चार पुत्र थे व चारों पुत्रों प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपने पिता के साथ संयुक्त रूप से ही निवास करते थे व सिमरथाराम के साथ ही प्रार्थीगण अप्रार्थीगण का कब्जा उपयोग उपभोग था व वर्तमान में निरन्तर बेरोक टोक सिमरथाराम के चारों पुत्रो का कब्जा है तथा प्रार्थीगण अपने कब्जा का उपयोग उपभोग की भूमि को अपनी सुविध अनुसार कब्जा काश्त करते आ रहे है इसलिये उक्त भूमि चारों पुत्रों के नाम दर्ज होनी थी क्योकि सेटलमेंट के समय भगवानाराम व मदनराम के अकेलों के नाम गलत दर्ज हुई सिमरथाराम की समरी में हीं उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर बनकर उक्त भूमि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हुई। प्रार्थीगण भी उक्त भूमि में अप्रार्थीगण के साथ बराबर–बराबर हिस्से की भूमि अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने के अधिकारी है। अप्रार्थीगण कभी भी मौका पाकर प्रार्थीगण के पैतृक हिस्से की भूमि से बेदखल कर सकते है यदि अप्रार्थीगण अपने इरादो में सफल हो गये तो प्रार्थीगण को उनकी पुश्तैनी भूमि से बेदखल करने पर प्रार्थीगण को अपनी पुश्तैनी भूमि से महरूम होना पडेगा तथा अप्रार्थीगण द्वारा भूमि का बेचान हस्तान्तरण किसी अन्य को करने की स्थिति में प्रार्थना पत्र की बाहुलता बढेगी तथा अन्य कानूनी पेचिदगीया भी बढेगी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है इस कारण अप्रार्थीगण कानून हाथ में लेकर प्रार्थीगण को उसके कब्जा काश्त में कोई बाधा पहुचाये उसे रोकने हेतु उक्त खसरा की भूमि का अन्य किसी को बेचान हस्तान्तरण करने से मूल प्रार्थना पत्र के निर्णय तक रोकने हेतु अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 की और से अधिवक्ता पप्पूराम मेगवाल ने मूल वाद में वाकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 2 को जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। पत्रावली बहस में रखी गयी।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, नजरी नक्शा, नामान्तरकरण इत्यादि का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

प्रथम परत पर्चा लगान मौजा नोख, खतोनी बन्दोबस्त के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि सिमरथाराम के नाम खसरा नम्बर 2632 रकबा 1–10 बीघा, खसरा नम्बर 2638 रकबा 45–13 बीघा, खसरा नम्बर 2639 रकबा 40–05 बीघा, खसरा नम्बर 2640 रकबा 35–13 बीघा कुल रकबा 121–07 बीघा राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। जबकि समरी खातेदारी की सम्पूर्ण भी सिमरथाराम के नाम समरी में दर्ज थी। सिमरथाराम के नाम दर्ज होने के पश्चात शेष रही भूमि खसरा नम्बर 2633/3059 रकबा 69–00 बीघा व खसरा नम्बर 2633/3060 रकबा 169–00 बीघा भूमि नामान्तरकरण संख्या 260 के जरिये सिमरथाराम के पुत्र अप्रार्थी भगवानाराम व मदनराम के नाम दर्ज की गयी। सहायक भू–प्रबन्धक अधिकारी जोधपुर के निर्णय स्पष्ट किया गया है कि भगवानाराम व मदनराम के नाम दर्ज भूमि सिमरथाराम की ही भूमि थी। प्रार्थीगण भी सिमरथाराम के वारिसान है वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का पैतृक हक हिस्सा है या नहीं इसका निर्धारण मूल वाद मे साक्ष्य सुनवाई उपरान्त ही तय किया जायेगा। वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि होने को लेकर वाद विचाराधीन होने से प्रार्थीगण को अपने पैतृक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188,92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जैरकार होने के चलते प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

प्रथम परत पर्चा लगान मौजा नोख, खतोनी बन्दोबस्त के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि सिमरथाराम के नाम खसरा नम्बर 2632 रकबा 1–10 बीघा, खसरा नम्बर 2638 रकबा 45–13 बीघा, खसरा नम्बर 2639 रकबा 40–05 बीघा, खसरा नम्बर 2640 रकबा 35–13 बीघा कुल रकबा 121–07 बीघा राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। जबकि समरी खातेदारी की सम्पूर्ण भी सिमरथाराम के नाम समरी में दर्ज थी। सिमरथाराम के नाम दर्ज होने के पश्चात शेष रही भूमि खसरा नम्बर 2633/3059 रकबा

26/8/15
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

69–00 बीघा व खसरा नम्बर 2633/3060 रकबा 169–00 बीघा भूमि नामान्तरकरण संख्या 260 के जरिये सिमरथाराम के पुत्र अप्रार्थी भगवानाराम व मदनराम के नाम दर्ज की गयी। सहायक भू–प्रबन्धक अधिकारी जोधपुर के निर्णय स्पष्ट किया गया है कि भगवानाराम व मदनराम के नाम दर्ज भूमि सिमरथाराम की ही भूमि थी। प्रार्थीगण भी सिमरथाराम के वारिसान है वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का पैतृक हक हिस्सा है या नहीं इसका निर्धारण मूल वाद मे साक्ष्य सुनवाई उपरान्त ही तय किया जायेगा। चूंकि प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुआ है। अतः न्यायालय के अभिमत में प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो प्रार्थीगण को अधिकतम असुविधा हो सकती है।

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थीगण का दावा अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विचाराधीन है और प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का सन्तुलन दोनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुये है। अतः न्यायालय के हस्तक्षेप न करने के परिणामस्वरूप अनुतोष ईप्सित करने वाले प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित होने के कारण मूल वाद का निपटारा होने तक अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई व्यादेश बहक प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि ग्राम नोख पटवार हल्का नोख तहसील बाप के खसरा नम्बर 2633/3059 रकबा 69–00 बीघा, खसरा नम्बर 2633/3060 रकबा 169–00 बीघा में अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के पैतृक हिस्सा तक ता फैसला दावा किसी प्रकार की दखलअंदाजी न करे व राजस्व अभिलेख एवं मौके की यथास्थिति बनायें रखें। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.08.2025 को लिखवाया जाकरे खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर बाप जिला फलोदी (राज.)

26/8/25

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)